(1)

<u>सं0–1178/67–कृशिअ–14–500(6)/14</u>

प्रेषक,

सुरजन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मेरठ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग   लखनऊःदिनांकः 14 नवम्बर, 2014

विषयः सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्य के संचालन हेतु कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली (Statutes) अंगीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–सवप/वी.सी./2998/2014, दिनांक 20.06.2014 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के कार्य संचालन हेतु परिनियमावली (STATUTES) प्रख्यापित होने की तिथि तक चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली के अनुसार कार्यवाही करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली प्रख्यापित होने की तिथि तक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की परिनियमावली, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ हेतु प्रभावी रहेगी।

भवदीय,

OS (P) / EO

(सुरजन)
संयुक्त सचिव।

17/11/14

17/11/14

REGISTRAR
S. V. P. U. A. & T., MEERUT